प्रेस नोट दिनांक 08.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त,भीम को गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी निवासी ग्राम मझौली, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री दिनांक 05.11.2026 को पृथ्वीपाल सिंह इंटर कॉलेज, दाउदपुर में परीक्षा देने गई थी, जिसे भीम एवं गोलू निवासीगण ग्राम छप्परा, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। काफी तलाश करने पर पुत्री का कोई पता नहीं चला। विद्यालय के सीसीटीवी फुटेज में उक्त दोनों व्यक्तियों की फोटो विद्यालय के आसपास दिखाई देने पर वादिनी ने उनके विरुद्ध पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका व्यक्त की है। इस संबंध में मु0अ0स0 462/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार चौहान मय हमराह का अभिनव नारायन सिंह, म0का0 मांशी सिंह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश तथा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मु0अ0स0 462/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त भीम पुत्र राम उजागिर निवासी ग्राम छापर, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर को थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. भीम पुत्र राम उजागिर निवासी ग्राम छापर, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर ।

पुलिस टीम का विवरण:
उ0नि0 अमित कुमार चौहान मय हमराह का अभिनव नारायन सिंह, म0का0 मांशी सिंह थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त, अंश मिश्र उर्फ विशाल को गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 09.08.2026 को वह अपने चचेरे भाई के साथ डिजिटल लाइब्रेरी जा रहा था। रास्ते में करौदी घाट पार पीपल के पेड़ के पास राज सिंह पुत्र विपिन सिंह निवासी ग्राम पूरे माधव सिंह, थाना सदर, जनपद प्रतापगढ़ व उसके चार अन्य साथियों ने दोनों को रोककर गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों एवं लोहे की रॉड से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमले में कौशलेश तिवारी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया तथा अन्य आरोपियों ने वादी को पकड़कर मारपीट की। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। इस संबंध में मु0अ0स0 484/2026 धारा 191(2)/191(3)/126(2)/115(2)/352/109(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित तिवारी मय हमराह हे0का0 नासिर कमाल द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश तथा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मु0अ0स0 484/2026 धारा 191(2)/191(3)/126(2)/115(2)/352/109(1) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त अंश मिश्र उर्फ विशाल पुत्र प्रदीप मिश्र निवासी ग्राम सेतापुर बिहारगंज थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को मीरा भवन लीला पैलेस के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अंश मिश्र उर्फ विशाल पुत्र प्रदीप मिश्र निवासी ग्राम सेतापुर बिहारगंज थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण:

उ0नि0 अंकित तिवारी मय हमराह हे0का0 नासिर कमाल थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट के नगदी एवं वादी का आधार कार्ड बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा लूट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त आकाश यादव को गिरफ्तार किया गया, लूट के 3,000 रुपये एवं वादी का आधार कार्ड बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 05.11.2026 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे रूप सिवान में वादी निवासी ग्राम दुर्री पहाड़पुर, थाना सांगीपुर अपने चाचा के साथ खेत पर गए थे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार व्यक्तियों द्वारा लाठी-डण्डों से मारपीट कर वादी का मोबाइल फोन, नकदी एवं आधार कार्ड छीन लिया गया तथा उनके चाचा की मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उक्त घटना के संबंध में थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 261/2026 धारा 115(2), 352, 309(6), 324(2) बीएनएस के अंतर्गत 01 नामजद एवं 03 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 शक्ति कुमार गौतम मय हमराह का0 संदीप यादव, का0 अमित कुमार द्वारा दिनांक 08.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत पहाड़पुर चौराहे से किठावर जाने वाली सड़क पर दबिश देकर मुकदमे में वांछित अभियुक्त आकाश यादव पुत्र पवन यादव निवासी ग्राम खुशहट, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 05.11.2026 को उसने अपने साथियों राहुल यादव पुत्र रामराज यादव निवासी ग्राम खुशहट, राजेन्द्र यादव पुत्र शारदा यादव निवासी ग्राम हर्षपुर कोटवा एवं राहुल यादव के एक अन्य अज्ञात साथी के साथ मिलकर रवि वर्मा के साथ मारपीट कर रुपये, मोबाइल फोन एवं आधार कार्ड छीन लिया था। अभियुक्त ने बताया कि घटना में प्राप्त कुल 26,000 रुपये में से उसे 4,000 रुपये मिले थे, जिसमें से 1,000 रुपये खर्च कर दिए तथा शेष 3,000 रुपये उसके पास बचे थे।

बरामदगी-
*** लूट के 3,000 रुपये ।**

*** वादी का 01 अदद आधार कार्ड।**

अभियुक्त की निशानदेही/जामा तलाशी से बरामद नकदी एवं आधार कार्ड को कब्जा पुलिस में लेकर नियमानुसार सील किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. आकाश यादव पुत्र पवन यादव निवासी ग्राम खुशहट, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 0010/2021 धारा 323 भा०दं०सं०, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 0148/2025 धारा 115(2), 324(2), 351(2), 352 बी०एन०एस०, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 0221/2025 धारा 351(2), 352 बी०एन०एस०, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 261/2026 धारा 115(2), 352, 309(6), 324(2) बीएनएस, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 शक्ति कुमार गौतम मय हमराह का0 संदीप यादव, का0 अमित कुमार, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।